

कार्यालय जिलाधिकारी, मैनपुरी।


संख्या 924 / जि0आ0अ0-मैनपुरी / दै0आ0 / व्यवस्थापन 2020-21 / दिनांक: सितम्बर, 07, 2020

विज्ञप्ति


सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि कलेक्टर/लाइसेंस प्राधिकारी के आदेशानुसार निलम्बित देशी शराब दुकान गढ़िया ग्राम एवं कटरा समान का 14 दिवस की अवधि या नियमित व्यवस्थापन के दिनांक इनमें से जो भी पहले हो, के लिए आगणित देयताओं पर ऑफर दिनांक 10.09.2020 को अपरान्ह 2.00 बजे तक आमंत्रित किये जाते हैं। दो या दो से अधिक समान ऑफर प्राप्त होने पर सार्वजनिक लाटरी के माध्यम से दुकान का व्यवस्थापन कराया जायेगा। आवेदक द्वारा आवेदन करते समय प्रार्थना पत्र के साथ आधार कार्ड व पेनकार्ड की छायाप्रति एवं एक पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ संलग्न करना अनिवार्य होगा। दिये गये ऑफर में अंकित बेसिक लाइसेंस फीस की धनराशि चयन के पश्चात् आवंटी द्वारा ऑनलाइन जमा करनी होगी। चयन के पश्चात् लाइसेंस फीस के 1/10 भाग के बराबर प्रतिभूति धनराशि का बैंक ड्राफ्ट (जो जिला आबकारी अधिकारी, मैनपुरी के नाम देय होगा), जमा करना होगा। प्राप्त ऑफर दिनांक 10.09.2020 को अपरान्ह 2:30 बजे कार्यालय जिला आबकारी अधिकारी कलेक्ट्रेट मैनपुरी में खोले जायेंगे। दुकानों का विवरण निम्नवत् है:-

दुकान का नाम	शॉप आई0डी0	वार्षिक एम0जी0क्यू0	01 दिन का एम0जी0क्यू0	14 दिन का एम0जी0क्यू0	14 दिन के लिए बेसिक लाइसेंस फीस	अवधि (कब से कब तक)
1. दे0श0दु0 गढ़िया ग्राम	22230	10116 ब0ली0	27.72 ब0ली0	389 ब0ली0	रु0. 12837.00	11.9.2020 से 24.9.2020 तक
2. दे0श0दु0 कटरा समान	18393	20484 ब0ली0	56.12 ब0ली0	786 ब0ली0	रु0. 25938.00	15.9.2020 से 28.9.2020 तक

इच्छुक व्यक्ति अपना ऑफर दिनांक 10.09.2020 के अपरान्ह 2.00 बजे तक कार्यालय जिला आबकारी अधिकारी कलेक्ट्रेट मैनपुरी में प्रस्तुत कर सकते हैं। विस्तृत जानकारी कार्यालय जिला आबकारी अधिकारी, मैनपुरी से प्राप्त की जा सकती है।



(महेन्द्र पाल) 07/9/2020

जिला आबकारी अधिकारी
मैनपुरी।


(महेन्द्र बहादुर सिंह)
कलेक्टर/लाइसेंस प्राधिकारी
मैनपुरी।

संख्या-925-926 / तददिनांक।

- प्रतिलिपि:-1. सम्पादक हिन्दुस्तान/दैनिक जागरण मैनपुरी को इस अनुरोध के साथ कि विज्ञप्ति सःशुल्क न्यूनतम स्थान में अपने समाचार पत्र में प्रकाशित कराने का कष्ट करें तथा बिल जिला सूचना अधिकारी, मैनपुरी से प्रमाणित कराकर भुगतान हेतु प्रस्तुत करें।
2. जिला सूचना अधिकारी, मैनपुरी को जनपद की वेबसाइट पर अपलोड किये जाने हेतु प्रेषित।


जिला आबकारी अधिकारी
मैनपुरी।